प्रेस विज्ञप्ति

***जनपद-संतकबीरनगर ***

दिनांक 28.05.2025

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में ***थाना बखिरा पुलिस द्वारा*** वारण्टी नाम पता राजमन पुत्र नीबर निवासी भक्ठी थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री झमई, हे0का0 अजय सिमह, का0 जितेश कुमार ।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 10 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना को0 खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 125 वाहनों से 1,49,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 28.05.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 125 वाहनों से 1,49,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित बालअपचारी को किया गया गिरफ्तार, अपहृता बरामद

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्व दवन सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 281/2024 धारा 137(2), 87,61(2) 64(1) बीएनएस व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित बालअपचारी नाम पता बाबूराम पुत्र रामकिशुन निवासी अशरफपुर थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 28.05.2025 को मेंहदावल रोडवेज के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त बाल अपचारी द्वारा वादिनी की नाबालिग पुत्री को दिनाँक 05.10.2024 को बहला फुसलाकर भगा ले गया था, जिसके सम्बन्ध में वादिनी द्वारा थाना मेंहदावल पर प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में सुसंगत धाराओं की बढोत्तरी कर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 28.05.2025 को उक्त बाल अपचारी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री दशरथ, हे0का0 मुरली मनोहर, म0का0 अनुराधा भारती।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर द्वारा थाना दुधारा का किया गया औचक निरीक्षण, निरीक्षण के दौरान पायी गई कमियों को दूर करने हेतु संबन्धित को लगाई गयी डाट फटकार दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश

आज दिनांक 28.05.2025 को पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के द्वारा थाना दुधारा का औचक निरीक्षण किया गया। महोदय द्वारा थाना परिसर / बैरक की साफ सफाई के देखते हुए काफी नाराजगी व्यक्त की गई है,सीज वाहनों के सुनियोजित ढंग से रख रखाव व निस्तारण हेतु संबंधित को दिशा निर्देश दिया गया साथ ही साथ बैरक, कार्यालय, मालखाना, शस्त्रागार, बंदी गृह, महिला हेल्प डेस्क आदि को चेक करने के साथ कार्यालय में रखे विभिन्न महत्वपूर्ण अभिलेखों आर्डर बुक न्यायालय, आर्डर बुक न्यायालय NBW / कुर्की, आर्डर बुक न्यायालय सम्मन, गुण्डा रजिस्टर, समाधान दिवस रजिस्टर, सम्पूर्ण समाधान दिवस रजिस्टर, महिला उत्पीड़न रजिस्टर, आगंतुक रजिस्टर, त्यौहार रजिस्टर, भूमि विवाद रजिस्टर, अपराध रजिस्टर, बीट सूचना रजिस्टर आदि का बारीकी से निरीक्षण कर पायी गई कमियों के दृष्टिगत संबंधित को फटकार लगाई गयी और इन्हें अद्यतन रखने हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये, साथ ही महिला हेल्प डेस्क पर नियुक्त महिला पुलिस कर्मी को आने वाली महिला फरियादियों की समस्या को सहानुभूति पूर्वक सुनकर उनका तत्काल निस्तारण कराने के निर्देश दिए गये। इस दौरान थानाध्यक्ष दुधारा *श्री इन्द्रभूषण सिंह* पी0आर0ओ0 पुलिस अधीक्षक *श्री दुर्गेश कुमार पाण्डेय* सहित समस्त थाना पर नियुक्त कर्मचारीगण मौजूद रहे।

महोदय द्वारा थाना परिसर / बैरक की साफ सफाई के देखते हुए काफी नाराजगी व्यक्त की गई है,सीज वाहनों के सुनियोजित ढंग से रख रखाव व निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया।